

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/180

मजीद पुत्र सुल्तान जाति मुसलमान निवासी ग्राम हनोटिया रामगंजमण्डी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—अपीलान्त

### बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

—रेस्पोजन्ट

उपस्थित :- 1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।  
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोजन्ट की ओर से ।

### निर्णय

दिनांक: 13.02.2019

1. अपीलान्त द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2018 विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, जिला - कोटा ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी अपीलान्त को ग्राम हनोटिया की आराजी खसरा नं. 136 रकबा 0.32 हैक्टर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बेदखली, लगान का 50 गुना शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 30 दिवस (एक माह) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 24.09.2015 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2018 के द्वारा अपील खारिज कर दी ।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्त ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी से अपीलान्त ने कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि भी जमा करा दी है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे ।
4. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोजन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

*ml*

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के कब्जा छोड़ दिया है तथा जुर्माना राशि भी जमा करा दी है । वादग्रस्त आराजी के कब्जा छोड़ने के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी पेश किया है ।
6. रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।
7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट द्वारा जुर्माना/तावान राशि आदि जमा करा दी है । अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि से अपना कब्जा छोड़ दिया है ।
8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है एवं जुर्माना/ तावान राशि जमा करा दी है । इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित तहसीलदार, रामगंजमण्डी को भी प्रस्तुत करेगा । उक्त आदेश की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार, रामगंजमण्डी को भेजी जावे । यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा । पक्षकारान दिनांक 08.04.2019 को न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा में उपस्थित हों ।
9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा ।
10. निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
13/2/19  
(भागवती जेठानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा